न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 24 / 2014

बालूलाल पिता कन्हैयालाल जी ब्राम्हण निवासी सुठेपा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
प्रार्थी

वनाम

1. डूंगरसिह पिता चन्द्रसिंह जी राजपूत निवासी कडाकडा तह0 वेगूँ
2. कालू पिता भैरूसिंह जी राजपूत निवासी कडाकडा तह0 वेगूँ
3. मंगीलाल पिता गोकल जी ब्राम्हण निवासी सुठेपा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्रीमान तहसीलदार साहब वेगूँ जरिये भूमिधारी महोदय वेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री तूफानसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी सं. 3

आदेश दिनांक ::– 25.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम कडाकडा पटवार हल्का मोतीपुरा की खतौनी संख्या 44 सम्वत 2067 से 70 की जमाबन्दी में निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। जिसका विवरण निम्न है::–

खतौनी संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
44	2	0.36
	233 / 3	1.70
कीता–2	कुल रकवा	2.06 हैक्टर

यह कि प्रार्थी ग्राम सुठेपा का निवासी है प्रार्थी के गॉव से उक्त कषि आराजीयात पर आने जाने के लिए गॉव कडाकडा से सुठेपा मुख्य मार्ग से होकर आराजी नम्बर 10 की पूर्वी दिशा से होता हुआ आराजी नम्बर 7 के मध्य से होकर अपनी उक्त आराजीयात पर गाडी गडार का रास्ता है जिस पर से प्रार्थी आ रहा जा रहा है एवं अपने कृषि औजार हल बैल ट्रेक्टर आदि ला ले जा रहा है। जिसको नजरी नक्शे में ए से बी के रूप में दर्शाया गया है।

यह कि प्रार्थी विगत काफी लम्बे अर्से से इस नजरी नक्शे में वर्णित ए – बी रास्ते होकर आ जा रहे है तथा इसी रास्ते से अपने कृषि यन्त्र हल बेल लाते ले जाते है और कृषि फसल भी लाते ले जाते है और अपने निवासी स्थान में पहूँचते है।

यह कि प्रार्थी को अपनी मौजा कडाकडा की आराजी संख्या 2, 233 / 3 पर अपने जाने का यही एक मात्र रास्ता है इस रास्ते अलावा प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

यह कि विगत काफी लम्बे अर्से से उक्त वर्णित रास्ते से ही आ जा रहे है। इसलिए प्रार्थी का यह सुस्थापित मार्ग है। विपक्षी संख्या 1 व 2 10 व विपक्षी संख्या 3 आराजी नम्बर 7 के खातेदार है जिनकी कृषि आराजीयात से प्रार्थी का एक मात्र रास्ता स्थित है। जो प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता है जिसको 10 फीट चौडाई के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने एवं उक्त रास्ते का प्रतिकर नियमानुसार प्रार्थी संदाय करने हेतु तैयार है।

यह कि प्रार्थी का उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण आराजी नं0 7, 10 पर स्थित रास्ते से होकर प्रार्थी को आने जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। विपक्षीगण को प्रार्थी की आराजीयात में जाने आने से रोकने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्यो कि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं एक दूसरे की मेड पर एवं पुराने बने हुए रास्तो से होकर ही गॉव वासियों द्वारा अपने अपने खेतो पर आने जाने के लिये रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है इसलिए विपक्षीगण के खेत से प्रार्थी का आने जाने का रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि नियमानुसार प्रार्थी उक्त रास्ते का प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की मौजा कडाकडा की आराजी संख्या 233/3 पर आने जाने के मौजा कडाकडा की आराजी नं0 10 की पूर्वी दिशा से होता हुआ आराजी संख्या 7 के मध्य से होकर प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर पहूंचने के लिए 10 फीट चौडा मार्ग को कायम किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, प्रकरण मे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय दिये गये जबकि विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तूफानसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 2 गलत होकर अस्वीकार है।मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी संख्या 7 के मध्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है आराजी संख्या 7 विपक्षी संख्या 3 के खातेदारी की आराजी होकर काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है प्रार्थी ने गलत बयानी की है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। जब मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध ही नहीं है तो आने जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिए काफी वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। मात्र विपक्षी को परेशान करने की नियत से झूंठा एवं बेबुनियाद प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। मुझ विपक्षी की आराजी संख्या 7 में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी जबरन रास्ता निकलाने पर आमादा हो रहा है जो गलत है। प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद है जिसका उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है आराजी संख्या 7 व 10 में कोई रास्ता मौजूद नहीं है मात्र परेशान करने की नियत से ही झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है मौके पर कोई रास्ता ही उपलब्ध नहीं है तो शुल्क जमा कराने का कोई औचित्य नहीं हैं।

अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 3 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही मौके के रास्ते के सम्बन्ध में रास्ता की रिपोर्ट मय डीएलसी दर अनुसार तसहीलदार बेगूँ से मंगवाई गई जो तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 922 दिनांक 29.10.2024 से भिजवाई गई। रिपोर्ट अनुसार रास्ते हेतु ग्राम कडाकडा पटवार मंण्डल मोतीपुरा की आराजी संख्या 7 मे से 640 वर्गमीटर भूमि तथा आराजी संख्या 10 मे से 480 वर्गमीटर कुल 1120 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित हैं।

भूमि की वर्तमान डी एल सी दर – 508061/– डी एल सी का दुगना 508061 गुणा 2 यानि 1016122/– बनती है।

(अ) आराजी संख्या 7 कुल मुआवजा राशि 1016122/10000 गुणा 640 यानि 65032/–
जमाबंन्दी अनुसार प्रभावित होने वाले काश्तकारों को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती हैः–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	07	मांगीलाल पुत्र गोकल ब्राम्हण	सम्पूर्ण	65032/–

(ब) आराजी संख्या 10 के लिए कुल मुआवजा राशि 1016122/10000 गुणा 480 यानि 48780/–
जमाबन्दी अनुसार प्रभावित काश्तकारो को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती हैः–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	10	उम्मेदसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
2–	10	कैलाशकॅवर पुत्री डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
3–	10	कालूसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत	1/ 2	24390
4–	10	दुर्गासिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
5–	10	नंदकॅवर पत्नी डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
6–	10	प्रेमकॅवर पुत्री डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
7–	10	भवानीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत	1/12	4065
				48780/–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपरोक्त प्राप्त रिपोर्ट पर एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर पहूॅच के लिए विपक्षीगण के खाते की आराजी संख्या 7 व 10 पर से होकर रास्ते का उपयोग करते हुए आना जाना एवं कृषि यन्त्र एवं ट्रेक्टर आदि लेकर निकलना होता है, उक्त आराजी के रास्ता जो कि प्रार्थी की कृषि आराजी के निकटतम रास्ता है इसके अलावा और कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी प्रतिकर जमा कराने का तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपयोग में लिये जाने वाले रास्ता का अंकन सार्वजनिक रास्ते रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज फरमाया जाने का आदेश फरमावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 ने अपने जवाब अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को उसकी कृषि आराजी पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 7 व 10 मे से होकर कोई रास्ता नहीं निकलता है प्रार्थी गलत कथन करता है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी व नजरी नक्शा एवं प्राप्त रास्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया प्रार्थी को उसकी आराजी पर पहुॅच के लिए प्रार्थना पत्र में बताये गये रास्ते के अलावा और कोई सुलभ या निकटतम मार्ग प्रार्थी के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी रास्ते में दर्ज की जाने वाली विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 7 व 10 के लिए प्रतिकर जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी को उसकी कृषि आराजी संख्या 2 रकबा 0.36 हैक्र व आराजी संख्या 233/3 रकबा 1.70 हैक्टर भूमि ग्राम कडाकडा के पहुॅच हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 7 मे से 640 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 10 मे से 480 वर्गमीटर भूमि कुल 1120 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को उनके खाते की कृषि आराजीयात मौजा कडाकडा पटवार हल्का मोतीपुरा की आराजी संख्या 2 रकबा 0.36 हैक्र व आराजी संख्या 233/3 रकबा 1.70 हैक्टर भूमि पर पहूॅच हेतु विपक्षीगण की कृषि आराजी मौजा कडाकडा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 7 मे से 640 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 10 मे से 480 वर्गमीटर भूमि कुल 1120 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के लिए प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि को सार्वजनिक रास्ता हेतु दर्ज कराने के लिए विपक्षीगण को रास्ते की भूमि का प्रतिकर राशि आराजी संख्या 7 के लिए 65032/— एवं आराजी संख्या 10 के लिए 48780/— कुल राशि 113,812/— रूपये विपक्षीगण को दिये जाने हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराने पर मौजा कडाकडा प0ह0 मोतीपुरा की आराजी संख्या 7 के मध्य से 640 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 10 की पूर्वी दिशा से होता हुआ 480 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूॅ को दी जाकर लेख है कि आप प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 7 व 10 मे से सार्वजनिक रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली उपरोक्त भूमि की प्रतिकर राशि कुल राशि 113,812/— का भुगतान आदेश में दिये गये विस्तृत विवरण अनुसार विपक्षीगण को भुगतान करना सुनिश्चित करे व रास्ता का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शाद्रेस में किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ

दिनांक ::—

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

प्रार्थना पत्र संख्या 24/2014 व अनवान बालूलाल बनाम डूॅगरसिंह वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0काश्त0 अधि0 में न्यायालय के आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूॅको पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ